

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

इन्डा देवी बनाम खालकाल

किस्म मुकदमा :-

88/188 RTA

प्रकरण संख्या सन् :- 2025

160

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.7.25	अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर अधिवक्ता वादी को सुना गया। सलंगन प्रार्थना: पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 15/8/25 को पेश हो।	नो रिप्लाइड है
15/8/25	अद्वितीय प्रमाण और सबूत प्रस्तुत किए गए हैं और वे सत्य और सही हैं। इन्हें प्रमाण माना जाएगा और धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत उक्त प्रमाण को स्वीकार किया जाएगा।	
8.12.25	वकील वकील ने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और वे सत्य और सही हैं। इन्हें प्रमाण माना जाएगा और धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत उक्त प्रमाण को स्वीकार किया जाएगा।	जज अदालत को प्रमाण के विषय में पत्रावली के माध्यम से सूचित किया गया है। Hemant Khosla

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद (अजमेर)

